


छत्तीसगढ़ शासन  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
महानदी भवन, मंत्रालय नया रायपुर.



क्रमांक एफ-8/12/2012/34-2/2187  
प्रति,

रायपुर, दिनांक 22/12/2012

प्रमुख अभियंता,  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,  
छत्तीसगढ़ रायपुर।

विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य में नया पी.एच.ई. एस.ओ.आर. 1 जनवरी 2013 से लागू करने बाबत।

- संदर्भ:-
1. शासन का पत्र क्रमांक 1376/34-2/5.7.2012.
  2. विभिन्न विभागीय समीक्षा बैठकों में दिए गए निर्देश एवं दिनांक 20.12.2012 को आपसे हुई चर्चा।

-00-

आपको विदित है कि पी.एच.ई. विभाग द्वारा नया एस.ओ.आर. तैयार करने की कार्यवाही विगत अनेक वर्षों से प्रचलित है, किन्तु खेद है कि आज दिनांक आपके द्वारा कार्यवाही नहीं की गई है एवं छत्तीसगढ़ राज्य का लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का विभागीय एस.ओ.आर. जारी नहीं किया जा सका है।

वर्तमान में मध्यप्रदेश शासन द्वारा इस बाबत नया Water Supply & Sewerage works का एस.ओ.आर. जारी कर दिया गया है, जिसे आपके पत्र क्रमांक 9370/दिनांक 5.12.12 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील किया गया है। निविदाएं वर्तमान में विभाग में प्रभावशील यू.एस.ओ.आर. के आधार पर प्राप्त की जा रही है। इन निविदाओं में प्राप्त दरों का विश्लेषण करते समय अनुशंसाकर्ता अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि पूर्व प्रचलित यू.एस.ओ.आर. के आधार पर विभाग में प्रचलित दरों की तुलना में प्राप्त दर औचित्यपूर्ण है। तदनुसार निविदा प्रकरण में तथ्यपूरक स्पष्ट अनुशंसा सहित उचित निर्णय लेने हेतु स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी को प्रेषित किया जावे। इस विषय में प्रमुख सचिव, वित्त से प्राप्त टीप भी संलग्न की जा रही है, जो विषय की गंभीरता को रेखांकित करती है।


कृपया विभागीय नए एस.ओ.आर. को दिनांक 1.जनवरी 2013 से प्रदेश में लागू किया जाना सुनिश्चित करें एवं कार्यविभाग नियमावली की कंडिका 2.027, 2.028

- Contd P/2

2.029, <sup>Chapter II /</sup> सेक्शन-14 एवं 15 अनुसार वित्त विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश एवं वित्तीय अधिकारी पुस्तिका अनुसार आपके स्तर से तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें।

कृपया टीप करें कि जो भी योजनाएं पुराने एस.ओ.आर. से निविदत्त की जा रही हैं, उन्हें निविदाएं प्राप्त होने के पश्चात् यदि स्टेज-1 डी.पी.आर. में कार्यविभाग नियमावली के <sup>Chapter II-3 एवं यथा संशोधित</sup> सेक्शन-20 अनुसार लागत बढ़ती है तो नियमानुसार योजना को पुनरिक्षित करने की कार्यवाही भी सुनिश्चित करें।

अहमद - उपरोक्त कृपया

  
(आर. एस. विश्वकर्मा) 22/11/2012  
सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग